Adverse impact of GST on small traders of Uttar Pradesh

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) **:** सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मान्यवर, जीएसटी का कानून इस देश के अंदर लाया गया, तो देश के लोगों को यह भरोसा दिलाया गया कि जीएसटी के माध्यम से आम आदमी को टैक्स देने में राहत मिलेगी और व्यापारियों को टैक्स की जटिलताओं से छुट्टी मिलेगी तथा टैक्स भरने में आसानी होगी। लेकिन मान्यवर, महंगाई बढ़ती गई और आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ता गया।

महोदय, जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है, छोटे व्यापारी टैक्स की जटिलताओं से, टैक्स भरने की प्रक्रियाओं से, रोज़-रोज़ के संशोधन से ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। जीएसटी आने के बाद सैकड़ों की संख्या में टैक्स के नियमों में संशोधन किए गए, जिसके कारण आम आदमी परेशान है। आपने टैक्स के लिए कहा था - 'वन नेशन-वन टैक्स'। महोदय, लोगों के मन में यह धारणा थी कि यदि 10 परसेंट टैक्स होगा, तो 5 परसेंट टैक्स राज्य को जाएगा और 5 परसेंट टैक्स केंद्र को जाएगा, लेकिन आपने वन नेशन-मल्टीपल टैक्स की व्यवस्था ला दी। आपने किसी पर 2 परसेंट, किसी पर 5 परसेंट, किसी पर 18 परसेंट और किसी पर 28 परसेंट टैक्स लगा रखा है।

महोदय, इतने ज्यादा टैक्स लादने के कारण पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, दूध महंगा, छाछ महंगी, सरसों का तेल महंगा हो गया है। आपने आम आदमी की जिंदगी की हर एक चीज़ महंगी कर दी, आपने गरीब की थाली महंगी कर दी। मान्यवर, यह ऐसी सरकार है जो रोटी पर 5 परसेंट और परांठे पर 18 परसेंट टैक्स ले रही है। यह टैक्स की कैसी प्रणाली है?

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में एक हफ्ते तक जिस तरीके से छोटे व्यापारियों के ऊपर छापेमारी का आतंक डाला गया है, उनको इससे राहत मिलनी चाहिए।

श्री सभापति : प्लीज़, अब खत्म कीजिए।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, छापेमारी तो दूर की बात है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि वे छापामारी करने के लिए जीएसटी के अधिकारी नहीं, बल्कि पुलिस बल साथ में लेकर गए थे। वे चेक भरवा कर लेकर आए। महोदय, अयोध्या का एक मामला है। वहाँ एक व्यापारी से 5 लाख रुपये का चैक लिया। उन्होंने गोंडा में एक व्यापारी से 3 लाख रुपये का चैक लिया। आप पहले मामले की जाँच कीजिए, उसके बाद टैक्स लीजिए। आपने मामले की जाँच भी नहीं की, लेकिन छोटे, मझोले जितने भी व्यापारी हैं, उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश में तंग कर रखा है।

श्री सभापति : प्लीज़, अब खत्म कीजिए।

श्री संजय सिंह : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यही अनुरोध करना चाहूंगा..(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: The hon. Member will give details of the two incidents; he is yet to give those details of the information.

SHRI SANJAY SINGH: Sir, I have given it.

MR. CHAIRMAN: No, not given; please check it up. Give the details also. Please conclude now.

श्री संजय सिंह : महोदय, उत्तर प्रदेश में टैक्स की प्रणाली लागू करके व्यापारियों को जो परेशान किया जा रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से जीएसटी को जीएसटी ही रहने दीजिए, उसे गुंडा सर्विस टैक्स में तब्दील मत कीजिए।

डा. अशोक कुमार मित्तल (पंजाब) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री सुशील कुमार गुप्ता (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी (राजस्थान) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

श्री संत बलबीर सिंह (पंजाब) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

SHRI SANJEEV ARORA (Punjab): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. KANIMOZHI NVN SOMU (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. JOHN BRITTAS (Kerala): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

MS. DOLA SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRIMATI JAYA BACHCHAN (Uttar Pradesh): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRIMATI SHANTA CHHETRI (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI M. SHANMUGAM (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI ABIR RANJAN BISWAS (West Bengal): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I also associate myself with the submission made by the hon. Member.

SHRI M. MOHAMED ABDULLA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need to regulate tobacco advertising and promotion of tobacco use on OTT platforms

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Mr. Chairman, Sir, thank you for the opportunity given to me to speak. I was not supposed to speak today. I wish to draw the attention of the House and the Government about an issue which has grave implications on the health of our country, particularly the youth and other citizens of our country.

The issue is unregulated and unrestrained advertisement of tobacco and cigarette products on OTT platform. We all know that the OTT platform bypasses cable broadcast and satellite channels. They are able to advertise tobacco and cigarette products without any restraint. I don't need to tell this august House the harmful effects of cigarettes. Sir, tobacco and cigarettes are the prominent risk factors of major diseases in the country. Forty per cent of the non-communicable diseases are directly attributable to cigarette and tobacco products. A study done by an organisation called Global Youth Tobacco Survey has highlighted that 14 lakh Indians, on an average, die every year due to consumption of these products. The